

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकदमा

बनाम

नं

सन्

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए

डिग्रेड 19/11/22 को पेश की

SDO

19/11/22 पत्रावली पेश हुई | वापि एवं वापि
वसील अनुपासित | न्यायालय के

कार-2 कोषाट लक्षणों के अवयुक्त
साथ 5.000 रुपये तक की वापि एवं
वापि वसील में से कोई अपासित
नहीं हुआ। अनुपाट अदम्य दफ्ती
एवं अदम्य पंखी में खारिज हो
पुसकही अनुपाट का निस्तारण हो
जाने से प्रा.पत्र 212 RA Act
का कोई ऑन्विलस नहीं रहता है।

अतः प्रा.पत्र 212 RA Act की
कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। पत्रावली
केवल मुजार दोकर रजिस्ट्रार से
रकम भी पावे। निस्तारण अनुपाट है।

(Handwritten signature)